डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अदालत सहायक कलक्टर सेड़वा मुकाम सेड़वा जिला बाड़मेर

जलास श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
राणा पुत्र मीठा खां खबड़ पुत्र मीठा खां जातियान मुसलमान निवासी कुन्दनपुरा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।		1. अरबाब पुत्र खमीशा 2. कालू पुत्र मीठाखान 3. साहेबा पत्नी कालू 4. आचार पुत्र ठारू के कायम मुकाम 4/1 कबूल पुत्र आचार 4/2 सरी पत्नी आचार जातियामन मुसलमान निवासी कुन्दनपुरा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर। 5. राजस्थान सरकार जरिए श्रीमान तहसीलदार सेड़वा। 6. हाकम खान पुत्र सचू खान जाति मुसलमान निवासी आगासड़ी तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर।

मुकदमा नम्बर : 33/2021

दावा बाबत् : राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 RT Act

राणा वगैरा बनाम अरबाब वगैरा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल फतई रू–ब–रू पक्षकारान व हाजरी उपस्थित मिनजानिव मुदई **प्रतिवादी संख्या 6 के वकील मोहनलाल खिलेरी उपस्थित** मनजानिव मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि तहसीलदार सेड़वा द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 13.10.2022 को प्रस्तुत किया गया। अतः विभाजन प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री निम्न प्रकार की जाती है।

क.सं.	नाम खातेदारान	ग्राम	ख. नं.	रकबा हैक्ट. में	किस्म	लगान	बरंग
1	हाकम खान पुत्र सचू खान कौम मुसलमान सा0 आगासडी खातेदार	कुन्दनपुरा	391	1.5216	बा.दो.	0.47	गुलाबी
			391	0.7527	बा.दो.	0.23	
2	कालू पुत्र मिठा 106/675 हि0 खबड़ पुत्र मिठा 106/675 हि0 राणा पुत्र मिठा 107/675 हि0 आचार पुत्र ठारू (फौत) 318/675 हि0 साहेबा पत्नी कालू खां 38/675 हि0 कौम मुसलमान सा0 देह खातेदार	कुन्दनपुरा	391	4.3382	बा.दो.	1.34	केसरिया
			391	1.1250	बा.दो.	0.35	
3	कालू पुत्र मिठा 11/101 हि0 खबड़ पुत्र मिठा 11/101 हि0 राणा पुत्र मिठा 11/101 हि0 आचार पुत्र ठारू (फौत) 34/101 हि0 साहेबा पत्नी कालू खां 4/101 हि0 सा0 देह हाकम खान पुत्र सचू खान 30/101 हि0 कौम मुसलमान सा0 आगासड़ी खातेदार	कुन्दनपुरा	391	0.8175	बा.दो.	0.25	हरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.12.12 16:17:31 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार विभाजन की अन्तिम डिक्री नक्शे मे अलग–अलग रंग दर्शाये अनुसार जारी की जाती है उपरोक्तानुसार खातेदार के

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

की आराजी का नक्शा लट्टा में तरमीम करने एवम् पृथक पृथक खातेदार में दर्ज करने हसीलदार सेड़वा को तहरीर जारी हो। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करे।
बसगत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक 14.10.2022 को जारी की गई।

(रामजी भाई कलबी)
सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वाद के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 ...... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यह		आदेशिका की तामिल	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामिल			

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kal
Date: 2022.12.12 16:17:31 IST
Reason: SelfAttested

ा & ई-सर्विसेज,सेड़वा - 829056460

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा

(पीठासीन अधिकारी : श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस.)

नम्बर :– 33 / 2021

बत् :–राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
ा पुत्र मीठा खां ड़ पुत्र मीठा खां जातियान मुसलमान वासी कुन्दनपुरा तहसील सेड़वा जला बाड़मेर।		1. अरबाब पुत्र खमीशा 2. कालू पुत्र मीठाखान 3. साहेबा पत्नी कालू 4. आचार पुत्र ठारू के कायम मुकाम 4/1 कबूल पुत्र आचार 4/2 सरी पत्नी आचार जातियान मुसलमान निवासी कुन्दनपुरा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर। 5. राजस्थान सरकार जरिए श्रीमान तहसीलदार सेड़वा। 6. हाकम खान पुत्र सचू खान जाति मुसलमान निवासी आगासड़ी तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर।

धिवक्तागण – प्रतिवादी संख्या 6 के वकील – **श्री मोहन लाल खिलेरी**

–:निर्णय :–

दिनांक 14.10.2022

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर द्वारा दिनांक 28.09.2022 को प्राथमिक डिक्री जारी की गयी थी जिसकी पालना में तहसीलदार सेड़वा के पत्रांक/भू.अ./2022/2935 दिनांक 13.10.2022 द्वारा मौजा कुन्दनपुरा पटवार क्षेत्र सेड़वा तहसील सेड़वा में खेत खसरा संख्या 391 रकबा 52.17 बीघा किस्म बारानी दोयम का विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार प्रकरण संख्या 33/2021 अनवान राणा बनाम अरबाब वगैरा के समस्त पक्षकारों को निरीक्षक (भू.अ.) कार्यालय के आदेश कमांक/भू.अ./2022/266 से 272 दिनांक 30.09.2022 को नोटिस जारी कर तामिली विधिवत रूप से करवाई गई। तामिली रिपोर्ट में आसामी घर पर नहीं होने से आबाद मकान पर चस्पा की सूचना प्राप्त होने की स्थिति में न्यायहित में वादीगण व प्रतिवादीगण को पुनः नोटिस तहसील कार्यालय के आदेश कमांक/भू.अ./2022/2860 से 2866 दिनांक 10.10.2022 को जारी कर तामिली विधिवत रूप से करवाई गई। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित हुए।

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	जति	वादी/प्रतिवादी
1.	राणा	मिठा	मुसलमान	वा[illegible]
2.	कालू	मिठा	मुसलमान	[illegible]
3.	साहेबा	पत्नी कालू खां	मुसलमान	[illegible]
4.	कबूल	आचार	मुसलमान	प्रतिवा[illegible] पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.12.12 16:17:31 IST
Reason: SelfAttested

विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु ग्राम कुन्दनपुरा के खसरा संख्या 391 रकबा 8.5550 हैक्टयर की भूमि का अवलोकन किया गया जिससे खसरा संख्या 391 रकबा 8.550 हैक्ट. में सम्पूर्ण

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

विक्रेता व ...

पर कब्जा काश्त वादी संख्या 1 राणा पुत्र मिठा वादी संख्या 2 खबड़ पुत्र मिठा व प्रतिवादी ...ा 2 कालू पुत्र मिठा प्रतिवादी संख्या 3 साहेब पत्नी कालूखां प्रतिवादी संख्या 4 आचार (फौत) के ...सों का हैं। प्रतिवादी संख्या 1 अरबाब पुत्र खमीशा ने अपने हिस्से की भूमि का बेचान प्रतिवादी ...या 6 हाकम खान पुत्र सचूखान जाति मुसलमान निवासी आगासडी को किया गया। खसरा संख्या ...1 के दक्षिण तरफ भारतमाला सड़क के कोने पर छान (चार कोने पर चीण के टुकड़े व लकड़ी की ...टी से निर्मित) बनी हुई है जो दौरान वाद व स्थगन प्रभावित रहने के दौरान वादीगण राणा पुत्र ...ठा खबड़ पुत्र मिठा द्वारा बनाये जाने पर दिनांक 29.05.2021 को श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय ...ड़वा के आदेश क्रमांक/रीडर/2021 /365–366 दिनांक 27.05.2021 की पालना में मय पुलिस जाब्ता प्रतियां संलग्न है। उक्त दक्षिणी तरफ की शेष भूमि मौके पर निर्माण नहीं है। विवाद्य आराजी खसरा संख्या 391 रकबा 52.17 बीघा के संबंध में माननीय सहायक कलक्टर महोदय के अनवान उमेदा बनाम अरबाब खां वगैरा अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधिनियम 68/2021 में दिनांक 28.03.2021 से स्थगन आदेश प्रभावी है। माननीय न्यायालय के निर्देश एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 18 से 21 पालना में प्रतिवादी संख्या 6 हाकम खान पुंत्र सचू खान के हिस्से की भूमि खसरा संख्या 391 के दक्षिणी माठ की तरफ व भारतमाला सड़क के सामान्तर प्रतिवादी के हक हिस्से के अनुसार विभाजन प्रस्ताव में प्रस्तावित की गई है। खातेदार के खसरा संख्या 391 में अपने–अपने हिस्से के आनुपातिक हिसाब से भारतमाला सड़क पर हिस्सा प्रस्तावित किया जाता है –

क्र. सं.	नाम खातेदारान	ग्राम	ख. नं.	रकबा हैक्ट. में	किस्म	लगान	बरंग
1	हाकम खान पुत्र सचू खान कौम मुसलमान सा0 आगासडी खातेदार	कुन्दनपुरा	391	1.5216	बा.दो.	0.47	गुलाबी
			391	0.7527	बा.दो.	0.23	
2	कालू पुत्र मिठा 106/675 हि0 खबड़ पुत्र मिठा 106/675 हि0 राणा पुत्र मिठा 107/675 हि0 आचार पुत्र ठारू (फौत) 318/675 हि0 साहेबा पत्नी कालू खां 38/675 हि0 कौम मुसलमान सा0 देह खातेदार	कुन्दनपुरा	391	4.3382	बा.दो.	1.34	केसरिया
			391	1.1250	बा.दो.	0.35	
3	कालू पुत्र मिठा 11/101 हि0 खबड़ पुत्र मिठा 11/101 हि0 राणा पुत्र मिठा 11/101 हि0 आचार पुत्र ठारू (फौत) 34/101 हि0 साहेबा पत्नी कालू खां 4/101 हि0 सा0 देह हाकम खान पुत्र सचू खान 30/101 हि0 कौम मुसलमान सा0 आगासड़ी खातेदार	कुन्दनपुरा	391	0.8175	बा.दो.	0.25	हरा

उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव में प्रतिवादी संख्या 4 आचार पुत्र ठारू फौ[illegible] मौके पर कबूल पुत्र आचार उपस्थित था विभाजन प्रस्ताव मा[illegible] निर्णयानुसार वादीगण संख्या 1 व 2 व प्रतिवादी संख्या [illegible] के वारिसों के कब्जा काश्त एवं मौका स्थिति रहवासी ढाणियां, पक्के मकान, बाड़ा, टांके, ट्यूब[illegible] की मौका स्थिति

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.12.12 16:17:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

र विभाजन प्रस्ताव के साथ सलंग्न नक्शे में बरंग केसरिया दर्शाया गया है तथा प्रतिवादी संख्या विभाजन प्रस्ताव के साथ सलंग्न नक्शे में बरंग गुलाबी दर्शाया गया है जिसके अनुसार "बाई स एण्ड बाउण्ड" विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया। ग्राम कुन्दनपुरा के खसरा संख्या 391 रकबा 7 बीघा में से मौके पर रकबा 0.8175 हैक्ट. (05.01 बीघा) भूमि पर राष्ट्रिय राजमार्ग (भारतमाला क) की पक्की सड़क बनी हुई है। उक्त भूमि राष्ट्रिय राजमार्ग संख्या 925 (भारतमाला सड़क) के राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं है। उक्त भूमि पर राष्ट्रिय राजमार्ग संख्या 925 (भारतमाला सड़क) की क्की सड़क बनी होने के कारण उक्त भूमि को समस्त खातेदारों के शामलाती हिस्सा यथास्थिति बा जाकर संलग्न नक्शा में बरंग हरा दर्शाया गया है। उक्त विभाजन प्रस्ताव को मौके पर उपस्थित क्षकारों वादीगणां व प्रतिवादीगणों ओर को मौके पर उपस्थित मौत बरानों को पढ़कर सुनाया। मौके र उपस्थित वादीगण व प्रतिवादीगण व अन्य मौतबरानों ने हस्ताक्षर/अगुष्ठ करने से इन्कार कर दिया।

प्रतिवादी संख्या 6 के वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 6 के वकील ने तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनने का निवेदन किया गया। वादी वकील की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। तहसलदार सेड़वा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव विधि सम्वत् रूप से तैयार किया हुआ है जिसमें सभी पक्षकारों को सूचना के नोटिस जारी कर मौके पर उपस्थित होने हेतु पाबंद किया गया। मौके पर सभी पक्षकार उप0 हुये। अतः तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव में कोई कानूनी विवाद नहीं है। तहसीलदार सेड़वा को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव दिनांक 13.10.2022 निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिले दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.10.2022 को खुले न्यायालय में सरे इजलास सुनाया गया।

Note :- तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार प्रतिवादी संख्या 4 आचार (फौत) होना जाहिर हुआ इसके संबंध में प्रतिवादी संख्या 6 के वकील द्वारा पूर्व पेशी दिनांक पर सूचना दे दी गई। अतः विभाजन प्रस्ताव में आचार के हक हिस्से तक की भूमि का नामान्तरकरण उसके कायम मुकाम कबूल पुत्र आचार व सेरी पत्नी आचार के नाम से राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें।

(रामजी भाई कलबी)
सहायक कलक्टर
(S...

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Ka
Date: 2022.12.12 16:17:31 IST
Reason: SelfAttested